न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 55/2019 Gems No. 2019/00264

दायरा तिथि : 21.08.2019

प्राथमिक डिक्री दिनांक: 03.08.2021 फाईनल डिक्री दिनांक 14-9-2021

वादी :–

जोराराम पुत्र संग्रामरामजी जाति देवासी
निवासी लाटाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. धुणाराम पुत्र हकारामजी जाति देवासी
   निवासी लाटाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री विरमदेवसिंह सोनिगरा — अभिभाषक वादीनी की ओर से
2. श्री मदनलाल परिहार — अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–01 ओर से
3. नायब तहसीलदार, बाली .... पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 14-9-2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम लाटाडा पटवार हल्का लाटाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 779 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल वार्षिक लगान 5.04 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन मे वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 की प्रति एवं नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत किये गये।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर सम्मन तामील के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री मदनलाल परिहार द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 को जवाबदावा प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय/अवसर दिये गये, बावजुद जवाबदावा पेश नही किया गया। दिनांक 03.08.2021 को अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ने उपस्थित होकर प्रकरण मे विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई। जिससे दोनो पक्षो के अधिवक्तागणों की बहस पर मनन के पश्चात् लाटाडा पटवार हल्का लाटाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 779 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल वार्षिक लगान 5.04 रूपये के संबध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 01 के रेकर्ड में दर्ज 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार अनुसार पक्षकारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.08.2021 को जारी की गई।

जिसकी पालना में तहसीलदार, बाली ने वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो के मध्य विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांकः भू0अ0/2021/1599 दिनांक 06.09.2021 से निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित किये:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान	बरंग
01	जोराराम पुत्र संग्रामराम जाति रेवारी सा. देह खातेदार	779	0.1200	नहरी अव्वल	2.52	हरा
02	धुणाराम पुत्र हकाराम जाति रेवारी सा. देह खातेदार	779/1	0.1200	नहरी अव्वल	2.52	लाल

तहसीलदार, बाली से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई, तथा न्यायालय में उपस्थित वादी को भी सुना गया। उभय पक्ष वकुलाय एवं वादी स्वयं ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त कर इसी अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम लाटाडा पटवार हल्का लाटाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 779 रकबा 0.24 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल वार्षिक लगान 5.04 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांकः भू0अ0/2021/1599 दिनांक 06.09.2021 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान	बरंग
01	जोराराम पुत्र संग्रामराम जाति रेवारी सा. देह खातेदार	779	0.1200	नहरी अव्वल	2.52	हरा
02	धुणाराम पुत्र हकाराम जाति रेवारी सा. देह खातेदार	779/1	0.1200	नहरी अव्वल	2.52	लाल

पेज लगातार...... 2

उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 55/2019 Gcms No. 2019/00264
अनवान जोराराम बनाम धुणाराम वगैरा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार,बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, लाटाडा को लिखा जावे। कुल लगान राशि 5.40 रुपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 15-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner